न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(अरूण कुमार हसीजा,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
प्रार्थना पत्र रेलवे भूमि अवाप्ति संख्या 03/2025
दायर दिनांक : 12.08.2025
आदेश दिनांक : 22.12.2025

अनवान

श्री कजोडीमल पिता डालु जी जाति जाट उम्र 75 वर्ष निवासी जाटो का मोहल्ला, सरदारगढ, तहसील सरदारगढ, जिला राजसमन्द (राज0)

– प्रार्थी

बनाम

1. सक्षम अधिकारी, भूमि आवाप्ति उपखण्ड अधिकारी आमेट, (रेल मंत्रालय उत्तर पश्चिम रेल्वे) तहसील आमेट जिला राजसमन्द
2. क्षैत्रीय अधिकारी, उत्तर पश्चिमी रेल्वे, वृत उदयपुर, जिला उदयपुर
3. भारत सरकार निर्माण संगठन रेल मंत्रालय नई दिल्ली
4. उपमुख्य अभियन्ता, उत्तर पश्चिमी रेल्वे, उदयपुर जिला उदयपुर

– विपक्षीगण

याचिका अन्तर्गत धारा 20 रेल्वे संशोधन अधिनियम 2009 प्रार्थना पत्र बाबत् अवार्ड दिनांक 29.09.2024 ग्राम सरदारगढ तहसील सरदारगढ जिला राजसमन्द आराजी नम्बर 2261

उपस्थित :–

1. श्री प्रमोद लक्ष्कार, अधिवक्ता प्रार्थी
2. अप्रार्थी संख्या 1 व 3 अनुपस्थित
3. श्री ललित साहु , अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2 व 4

:: निर्णय ::

प्रार्थी द्वारा याचिका अन्तर्गत धारा 20 रेल्वे संशोधन अधिनियम 2009 प्रार्थना पत्र बाबत् अवार्ड दिनांक 29.09.2024 ग्राम सरदारगढ तहसील सरदारगढ जिला राजसमन्द आराजी नम्बर 2261 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सरदारगढ तहसील आमेट जिला राजसमन्द प्रार्थी के हक अधिकार की भूमियां स्थित हैं। जिसमें भूमि आराजी नम्बर 2261 प्रार्थी के खातेदारी व आधिपत्य की हैं। भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन सी.जी.आर.जे.अ.27072023–24763सी.जी.आर.जे.ई 27072023–247663 द्वारा दिनांक 26.07.2023 को प्रार्थीगण की भूमि आवाप्त की गई तथा जिसका आदेश विपक्षी संख्या 1 द्वारा दिनांक 29.02.2024 को जारी किया गया। प्रार्थी की भूमि आराजी नम्बर 2261 में से 0.3511 हैक्टर भूमि आवाप्त की गई। उपरोक्त भूमि के सम्बन्ध में रेल्वे विभाग

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

द्वारा जो प्रार्थी को मुआवजा दिया गया वह पुरी सम्पति को बंझड मानते हुए प्रार्थी के हक में कुल 7,37,483/– रूपये मुआवजा देने की रिपोर्ट की गई और उसी अनुसार मुआवजे का आदेश जारी किया गया। जिससे व्यतीत होकर प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 1 के यहा दिनांक 17.07.2024 को प्रार्थना पत्र पेश किया गया तथा विपक्षी संख्या 1 द्वारा मौका रिपोर्ट बनाने हेतु तहसीलदार आमेट को नियुक्ति किया गया तथा तहसीलदार आमेट द्वारा दिनांक 18.06.2025 को रेल्वे विभाग के कर्मचारियों की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की गई जिसमे सम्पति को सिचिंत मानते हुए रिपोर्ट प्रेषित की गई परन्तु विपक्षी संख्या 1 द्वारा उक्त रिपोर्ट को दर किनार करते हुए भूमि को असिचिंत मानते हुए मुआवजे की राशि तय कर दी। भूमि की गणना बंझड भूमि के आधार पर की गई है यानि की जो राशि तय की गई वह डी.एल.सी. दर के निमयानुसार सडक आबादी से दूर असिचित भूमि के आधार पर उक्त राशि की गणना की गई हैं तथा कुए की गहरी को भी 50 फीट ही दिखाया गया हैं, मौके पर किसी भी प्रकार से दिवार नही होना दर्शाया गया हैं, साथ ही पेड पौधो का मुआवजा भी नियमानुसार तय नही किया गया हैं। वास्तव में उक्त भूमि सिचित हैं जैसा की तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि उक्त भूमि पूर्ण रूप से सिचिंत हैं तथा मौके पर दोनो फसले ली जाती है मुआवजे की गणना सडक आबादी से दूर असिचित आधार पर की गई हैं जो 5,65,000/– रूपये होकर गणना की गई हैं जबकि तहसीलदार की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि वर्तमान में पूर्ण रूप से सिचित हैं। उक्त भूमि सरदारगढ से सियाणा जेतपुरा रोड जो डबल रोड होकर वर्तमान में 21 फीट चौडा है उस रोड के एकदम सटमा स्थित हैं। जिसके सम्बन्ध में नजरी नक्शा भी पेश किया जा रहा हैं जिससे यह साबित होता है कि उक्त भूमि सडके पास होकर सिचित भूमि हैं। उपरोक्त वर्णित भूमि के चारो तरफ 7 फीट कच्चे पत्थरो की दिवार बनी हुई है जो आज भी मौजुद हैं जो प्रार्थी की भूमि पर बनी हुई जो 600 फीट लम्बी हैं और जिसको बनवाने का खर्चा ही लगभग 2,70,000/– रूपये वर्तमान दर से आता हैं, जिसका भी कोई मुआवजा नहीं दिया गया हैं। इसके अलावा प्रार्थी की उपरोक्त वर्णित भूमि आराजी नम्बर 2261 में आम, आवले व निम्बु, बम्बुल, सीताफल व चिकू, गुन्दा, निम व आम के 6 पेड लगे हुए है, उसी अनुसार तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई तथा निवेदन किया गया कि सिचित भूमि मांग कर मुआवजा देना यथोचित हैं। प्रार्थी की भूमि सडक के पास होने के बावजूद असिचिंत सडक से दूर मानते हुए मुआवजा तय कर दिया गया। जबकि उक्त अवार्ड की राशि की गणना सडक आबादी के पास सिचिंत भूमि डी.एल.सी. आधार पर करते हुए अवार्ड दिया जाना नितान्त अनिवार्य हैं। सडक आबादी के पास की भूमि की वर्तमान डी.एल.सी. 8981000 प्रति हैक्टर हैं उसी अनुसार प्रार्थीगण को मुआवजा दिया जावें। अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि तहसीलदार साहब, आमेट द्वारा पेश की गई रिपोर्ट के आधार पर सडक के पास सिचित भूमि के नियमानुसार गणना की जाकर प्रार्थीगण को मुआवजा दिलवाया जाने की कृपा करावें।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 व 3 अनुपस्थित तथा विपक्षी संख्या 2 व 4 की ओर से अधिवक्ता श्री ललित साहु ने उपस्थिति दी।

विपक्षी संख्या 01 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि भूमि मौके पर सिंचित है जबकि बंझड मानते हुए मुआवजा तय किया गया है। मौके अनुसार सिंचित मानकर एवं संरचनाओं व पेड़–पौधों का मुआवजा रेलवे इंजिनियर की सर्वे रिपोर्ट अनुसार दिया जाना चाहिए। वादग्रस्त भूमि ग्राम सरदारगढ़ आ.न. 2261 में से 0.3511 हेक्टर

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

सिंचित होकर दोनों फसले ली जा रही है तथा सड़क से 180 मीटर व आबादी से 700 मीटर दूर है। अतः इसी मुताबिक मुआवजा दिया जाना उचित है। प्रार्थीगण द्वारा ग्राम सरदारगढ़ में स्थित अपनी खातेदारी भूमियाँ आराजी नम्बर 2261 में से रेलवे आमान परिवर्तन (नाथद्वारा–देवगढ़ मदारिया ब्रॉडगेज) हेतु अवाप्त होने वाली भूमियों के निर्धारित मुआवजे में संशोधन हेतु वाद दायर किया है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि आ.न. 2261 में से 0.3511 हेक्टर, भूमि अवाप्त की गयी। उक्त भूमि को किस्म बंझड मानकर मुआवजा राशि की गणना की गयी है। परन्तु भूमि मौके पर सिंचित है। इस सम्बन्ध में पूर्व में दिनांक 18.06.2025 को रेलवे अधिकारीयों की उपस्थिति में मौका देखकर रिपोर्ट भेजी गयी थी जिसमें मौके पर वादीगण की अवाप्त होने वाली भूमि को सिंचित मानकर मुआवजा राशि हेतु निवेदन किया गया था। वादीगण द्वारा इस भूमि को कुंए से सिंचित किया जाकर वर्तमान में मौके पर सिंचित कर रखा है। वादीगण की भूमि सड़क के मध्य से 180 मी. दुरी पर एवं आबादी से 700 मीटर दूर है। अवाप्त होने वाली भूमि पर स्थित स्थायी संरचना, दीवार, पेड़ों की संख्या रेलवे विभाग द्वारा बनाई गयी मौका सर्वे रिपोर्ट में दर्ज है। जिसके अनुसार सम्बन्धित खातेदार को मुआवजा दिया जाना उचित है।

विपक्षी संख्या 02 व 04 की ओर से अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षीगण द्वारा प्रार्थीगण की भूमि नाथद्वारा–देवगढ़ रेलवे गेज कन्वर्जन परियोजना हेतु अधिग्रहित की गई है जिस हेतु धारा 20 ए रेलवे अधिनियम 1989 के तहत अधिकारो का प्रयोग कर गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया। उक्त परियोजना के सफल कियान्वयन व निष्पादन हेतु उपखण्ड अधिकारी आमेट को भूमि अवाप्ति अधिकारी के रूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा CAO/C&jaipur vide sub Para 7a of section 2 of Railway Act 1989 नियुक्त किया गया। जिसके अनुरूप गजट नोटिफिकेशन दिनांक 05.04.2023 को जारी व प्रकाशित किया गया। उक्त परियोजना मे अवाप्त की जाने वाली सभी प्रस्तावित भूमियों का राजस्व रेकार्ड मय खसरा नम्बर, किस्म, क्षेत्रफल, नक्शे आदि के विपक्षी संख्या 4 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी आमेट को सत्यापन हेतु दिनांक 26.06.2023 को प्रेषित किया गया, उपखण्ड अधिकारी आमेट द्वारा दिनांक 21.07.2023 को उक्त भूमियों का राजस्व रेकार्ड मय खसरा नम्बर, किस्म, क्षेत्रफल, नक्शे आदि का सत्यापन कर रिपोर्ट विपक्षी संख्या 4 को प्रेषित की गई। उपखण्ड अधिकारी आमेट द्वारा निर्धारित मुआवजा राशी अग्रिम रूप से जमा करने की सलाह दी गई उक्त सलाह की अनुपालना मे विपक्षी संख्या 4 द्वारा उक्त राशी स्टेट बैंक आफ ईण्डिया शाखा आमेट मे जमा करवा दी गई। इस संबंध मे निवेदन है कि धारा 20ए रेलवे अधिनियम के तहत गजट नोटिफिकेशन दिनांकित 26.07.2023 को दो स्थानीय अखबारो मे दिनांक 02.08.2023 को प्रकाशित करवाया गया। धारा 20ई रेलवे अधिनियम के तहत गजट नोटिफिकेशन में उक्त परियोजना मे अवाप्त की जाने वाली सभी प्रस्तावित भूमियों का राजस्व रेकार्ड मय खसरा नम्बर, किरम, क्षेत्रफल, नक्शे, लाभार्थी का नाम आदि का पूर्ण अंकन कर उपखण्ड अधिकारी आमेट को सत्यापन हेतु दिनांक 04.09.2023 को प्रेषित की गई। उपखण्ड अधिकारी आमेट द्वारा उक्त गजट नोटिफिकेशन में वर्णित सभी प्रविष्ठीयो को सत्यापित दिनांक 10.11.2023 को किया गया, उक्त सत्यापन रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया कि उक्त गजट नोटिफिकेशन के प्रकाशन के अन्दर अवधि 30 दिन में कुल 21 आपत्तियॉ तथा 30 दिन के पश्चात 2 आपत्तियॉ प्राप्त हुई। जिनका संतोषजनक रूप से निपटारा कर दिया गया था। प्रार्थीगण द्वारा जो आपत्ति की गई उनका भी निर्धारण कर अवार्ड राशी जमा करवा दी गई। प्रार्थीगण को जारी अवार्ड, नियमानुसार विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांन्त का पालन कर सुनवाई का

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

अवसर उपलब्ध कराकर जारी किये गए है। गजट नोटिफिकेशन के 30 दिन मे प्राप्त 21 व 30 दिन पश्चात प्राप्त 2 आपत्तियो का निराकरण करने के पश्चात उक्त अवार्ड जारी किया गया है जो न्याय के सिद्वान्तो की पालना करते हुए जारी किया गया है। प्रार्थीगण की भूमि की किस्म, क्षेत्रफल, कुँए की गहराई, सडक से दूरी, सिंचित/असिंचित होना, दीवार नही होना आदि के संबंध में प्रार्थीगण ने जो तथ्य याचिका की इस कलम में लिखे है वो आधारहीन व गलत होने से अस्वीकार है। ज्ञातव्य हो कि विपक्षी द्वारा प्रार्थीगण की भूमि नाथद्वारा–देवगढ़ रेलवे गेज कन्वर्जन परियोजना हेतु अधिग्रहित की गई थी जिस हेतु धारा 20 ए रेलवे अधिनियम 1989 के तहत अधिकारो का प्रयोग कर गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया। उक्त भूमिया सिंचित नही है, प्रारम्भिक कथन में वर्णित अनुसार अवाप्त की जाने वाली सभी भूमियो का निर्धारण व सत्यापन उपखण्ड अधिकारी आमेट द्वारा किया गया है उक्त सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण को मुआवजा अवार्ड जारी किया जा चुका है। धारा 20 ए ओर धारा 20 ई रेलवे अधिनियम के तहत जारी नोटिफिकेशन के पश्चातवर्ती (retrospective) उक्त भूमियो की खसरा नम्बर, किस्म, क्षेत्रफल, नक्शे मे परिवर्तन किया जाता है तो उक्त संशोधन या परिवर्तन/परिवर्धन को अवार्ड हेतु संज्ञान मे नही लिया जा सकता। याचिका की इस कलम मे वर्णित अनुसार तहसीलदार की ऐसी कोई रिपोर्ट नही है ओर विकल्प मे निवेदन है कि यदि ऐसी कोई रिपोर्ट अस्तित्व में हो तब भी उसको अवार्ड हेतु द्रष्टिगत नही किया जा सकता क्योकि उक्त भूमि की किस्म राजस्व रेकार्ड मे बंझड/चोकडी दर्ज है, राजस्व रेकार्ड के विपरित किसी अधिकारी की रिपार्ट की साक्ष्य मे कोई वेल्यू नहीं है। उक्त समस्त तथ्य केवल कयास व कल्पना के आधार पर बढ़ाचढ़ा कर अंकित किये गए है। इस संबंध मे प्रार्थीगण द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किये गए है। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा निर्धारित नियमानुसार प्रक्रिया का पालन कर प्रार्थीगण के भूमि का भौतिक सत्यापन कर मुआवजा राशी निर्धारण कर अवार्ड जारी किया गया है जिसमे संशोधन की कोई गुंजाईश नही है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण की याचिका सव्यय निरस्त फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम सरदारगढ तहसील आमेट जिला राजसमन्द प्रार्थी के हक अधिकार की भूमियां स्थित हैं। जिसमें भूमि आराजी नम्बर 2261 प्रार्थी के खातेदारी व आधिपत्य की हैं। भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन सी. जी.आर.जे.अ. 27072023–24763 सी.जी.आर.जे.ई 27072023–247663 द्वारा दिनांक 26.07. 2023 को प्रार्थीगण की भूमि आवाप्त की गई तथा जिसका आदेश विपक्षी संख्या 1 द्वारा दिनांक 29.02.2024 को जारी किया गया। प्रार्थी की भूमि आराजी नम्बर 2261 में से 0.3511 हैक्टर भूमि आवाप्त की गई। उपरोक्त भूमि के सम्बन्ध में रेल्वे विभाग द्वारा जो प्रार्थी को मुआवजा दिया गया वह पुरी सम्पति को बंझड मानते हुए प्रार्थी के हक में कुल 7,37,483/– रूपये मुआवजा देने की रिपोर्ट की गई और उसी अनुसार मुआवजे का आदेश जारी किया गया। जिससे व्यतीत होकर प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 1 के यहा दिनांक 17.07.2024 को प्रार्थना पत्र पेश किया गया तथा विपक्षी संख्या 1 द्वारा मौका रिपोर्ट बनाने हेतु तहसीलदार आमेट को नियुक्ति किया गया तथा तहसीलदार आमेट द्वारा दिनांक 18.06.2025 को रेल्वे विभाग के कर्मचारियों की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की गई जिसमे सम्पति को सिचिंत मानते हुए रिपोर्ट प्रेषित की गई परन्तु विपक्षी संख्या 1 द्वारा उक्त रिपोर्ट को दर किनार करते हुए भूमि को असिचिंत मानते हुए मुआवजे की राशि तय कर दी। भूमि की गणना बंझड भूमि के आधार पर की गई है यानि की जो राशि तय की गई वह डी.एल.सी. दर के निमयानुसार सडक आबादी से दूर असिचित

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

भूमि के आधार पर उक्त राशि की गणना की गई हैं तथा कुए की गहरी को भी 50 फीट ही दिखाया गया हैं, मौके पर किसी भी प्रकार से दिवार नही होना दर्शाया गया हैं, साथ ही पेड पौधो का मुआवजा भी नियमानुसार तय नही किया गया हैं। वास्तव में उक्त भूमि सिचित हैं जैसा की तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि उक्त भूमि पूर्ण रूप से सिचिंत हैं तथा मौके पर दोनो फसले ली जाती है मुआवजे की गणना सडक आबादी से दूर असिचित आधार पर की गई हैं जो 5,65,000/– रूपये होकर गणना की गई हैं जबकि तहसीलदार की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि वर्तमान में पूर्ण रूप से सिचित हैं। उक्त भूमि सरदारगढ से सियाणा जेतपुरा रोड जो डबल रोड होकर वर्तमान में 21 फीट चौडा है उस रोड के एकदम सटमा स्थित हैं। जिसके सम्बन्ध में नजरी नक्शा भी पेश किया जा रहा हैं जिससे यह साबित होता है कि उक्त भूमि सडके पास होकर सिचित भूमि हैं। उपरोक्त वर्णित भूमि के चारो तरफ 7 फीट कच्चे पत्थरो की दिवार बनी हुई है जो आज भी मौजुद हैं जो प्रार्थी की भूमि पर बनी हुई जो 600 फीट लम्बी हैं और जिसको बनवाने का खर्चा ही लगभग 2,70,000/– रूपये वर्तमान दर से आता हैं, जिसका भी कोई मुआवजा नहीं दिया गया हैं। उक्त अवार्ड की राशि की गणना सडक आबादी के पास सिचिंत भूमि डी.एल.सी. आधार पर करते हुए अवार्ड दिया जाना नितान्त अनिवार्य हैं। सडक आबादी के पास की भूमि की वर्तमान डी. एल.सी. 8981000 प्रति हैक्टर हैं उसी अनुसार प्रार्थीगण को मुआवजा दिया जावें। अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि तहसीलदार साहब, आमेट द्वारा पेश की गई रिपोर्ट के आधार पर सडक के पास सिचित भूमि के नियमानुसार गणना की जाकर प्रार्थीगण को मुआवजा दिलवाया जाने की कृपा करावें।

विपक्षी संख्या 2 व 4 के अधिवक्ता ने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि उक्त परियोजना मे अवाप्त की जाने वाली सभी प्रस्तावित भूमियों का राजस्व रेकार्ड मय खसरा नम्बर, किस्म, क्षेत्रफल, नक्शे आदि के विपक्षी संख्या 4 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी आमेट को सत्यापन हेतु दिनांक 26.06.2023 को प्रेषित किया गया, उपखण्ड अधिकारी आमेट द्वारा दिनांक 21.07.2023 को उक्त भूमियों का राजस्व रेकार्ड मय खसरा नम्बर, किस्म, क्षेत्रफल, नक्शे आदि का सत्यापन कर रिपोर्ट विपक्षी संख्या 4 को प्रेषित की गई। उपखण्ड अधिकारी आमेट द्वारा निर्धारित मुआवजा राशी अग्रिम रूप से जमा करने की सलाह दी गई उक्त सलाह की अनुपालना मे विपक्षी संख्या 4 द्वारा उक्त राशी स्टेट बैंक आफ ईण्डिया शाखा आमेट मे जमा करवा दी गई। इस संबंध मे निवेदन है कि धारा 20ए रेलवे अधिनियम के तहत गजट नोटिफिकेशन दिनांकित 26.07.2023 को दो स्थानीय अखबारो मे दिनांक 02.08.2023 को प्रकाशित करवाया गया। धारा 20 ई रेलवे अधिनियम के तहत गजट नोटिफिकेशन में उक्त परियोजना मे अवाप्त की जाने वाली सभी प्रस्तावित भूमियों का राजस्व रेकार्ड मय खसरा नम्बर, किरम, क्षेत्रफल, नक्शे, लाभार्थी का नाम आदि का पूर्ण अंकन कर उपखण्ड अधिकारी आमेट को सत्यापन हेतु दिनांक 04.09.2023 को प्रेषित की गई। उपखण्ड अधिकारी आमेट द्वारा उक्त गजट नोटिफिकेशन में वर्णित सभी प्रविष्ठीयो को सत्यापित दिनांक 10.11.2023 को किया गया, उक्त सत्यापन रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया कि उक्त गजट नोटिफिकेशन के प्रकाशन के अन्दर अवधि 30 दिन में कुल 21 आपत्तियॉ तथा 30 दिन के पश्चात 2 आपत्तियॉ प्राप्त हुई। जिनका संतोषजनक रूप से निराकरण करने के पश्चात उक्त अवार्ड जारी किया गया है जो न्याय के सिद्वान्तो की पालना करते हुए जारी किया गया है। प्रार्थीगण तथ्य केवल कयास व कल्पना के आधार पर बढ़ाचढ़ा कर बता रहे है। इस संबंध मे प्रार्थीगण द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

नही किये गए है। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा निर्धारित नियमानुसार प्रक्रिया का पालन कर प्रार्थीगण के भूमि का भौतिक सत्यापन कर मुआवजा राशी निर्धारण कर अवार्ड जारी किया गया है जिसमे संशोधन की कोई गुंजाईश नही है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण की याचिका सव्यय निरस्त फरमाई जावे।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। बहस पर गहन मनन किया व पत्रावली का ध्यानपूर्व अवलोकन किया। इस प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा यह निवेदन किया गया कि जो मुआवजे का निर्धारण किया गया है वह असिंचित भूमि का किया गया है जबकि मौके पर कुऑ होकर भूमि सिंचित हैं। जो उपखण्ड अधिकारी आमेट की रिपोर्ट दिनांक 12.09.2025 में भी स्पष्ट हो रहा हैं और यह मुख्य मार्ग से 180 मीटर दुर है। कुँए के जो नाप किये गये हैं। वो भी गलत किये गये मौके पर आज भी कुऑ विघमान है उसके पुनः नाप किये जा सकते हैं। इसमें अप्रार्थीगण का यह कहना है कि जो मुआवजा निर्धारित किया गया है वह राजस्व रिकोर्ड के आधार पर ही निर्धारित किया गया हैं। तथा इन्ही मुद्दो को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में भी प्रकरण विचाराधीन हैं। इस प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी आमेट जो कि स्वयं भूमि अवाप्ति अधिकारी है उनकी रिपोर्ट 12.09.2025 में यह स्पष्ट लिखा गया है कि जो विवादित भूमि है उस भूमि को बंझड मानते हुए मुआवजा राशि की गणना की गई है किन्तु भूमि मौके पर सिंचित हैं और यह मुख्य मार्ग से 180 मीटर दुर है और दोनो फसले ली जा रही हैं। तो ऐसी स्थिति में जारी किये गये मुआवजे में और उन्ही की रिपोर्ट दिनांक 12.09.2025 में विरोधाभास होने और राजस्व अधिकारियों के दायित्वों का निर्वहन नहीं किये जाने के कारण प्रार्थीगण के जो उसके विधिक अधिकार है उनसे वंचित किया जाना मैं, न्यायहित में उचित नहीं समझता हूँ। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर प्रकरण सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेट को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा प्रेषित किये गये क्लेम दस्तावेज तथा वर्तमान मौका स्थिति की रिपोर्ट के आधार संशोधित मुआवजा अवार्ड जारी करें।

(अरूण कुमार हसीजा)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमन्द

आदेश आज दिनांक 22.12.2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

(अरूण कुमार हसीजा)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमन्द